

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 04 जुलाई, 2015

क्रमांक एफ 19-48/2015/1/4:: राज्य शासन एतद द्वारा राज्य में स्मार्ट सिटी से सम्बन्धित मिशन का संचालन करने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) का निम्नानुसार गठन करता है:-

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव, योजना विभाग | सदस्य |
| 4. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 5. सचिव सह आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास | राज्य मिशन संचालक एवं सदस्य सचिव |
| 6. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश | सदस्य |
| 7. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 8. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 9. चयनित नगरीय निकाय के आयुक्त | सदस्य |
| 10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसपीवी | सदस्य (एसपीवी के गठन होने पर) |

एचपीएससी के मुख्य दायित्व निम्नानुसार है:-

1. मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट सिटीज के विकास से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान के लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना।
2. चरण-1 मानदंडों के आधार पर प्रथम स्तरीय अंतरा- राज्य प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का निरीक्षण करना।
3. एसपीवी की समीक्षा करना और चुनौती में सहभागिता के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्याम बाई धुर्वे)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर - 2

आज्ञा

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश को -


E-5 - उप संचालक पत्र - मो - 2 -

पृ० क्रमांक एफ 19-48/2015/1/4

भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव
2. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


4.7.15
अवर सचिव

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग


4/7/2015